

क्या आप अपनी निजी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं?

मतदाता सूची में अपना विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने में हर कोई खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे मतदान करने का अधिकार खो देते हैं।

अगर आप नामांकन के लिए योग्य हैं लेकिन आपको लगता है कि प्रिंट की गई (मुद्रित) मतदाता सूची में अपना विवरण दर्ज करने से, आपकी या आपके परिवार की निजी सुरक्षा जोखिम में पड़ सकती है, तो आप गोपनीय अप्रकाशित मतदाता सूची में दर्ज होने का अनुरोध कर सकते हैं।

आपके नामांकन विवरण निर्वाचन आयोग द्वारा सुरक्षित रूप से रखे जाएँगे और किसी को भी प्रदान नहीं किए जाएँगे।

क्या अपनी निजी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं?



Complete this form to apply to go on the unpublished roll.

Full name:

Date of birth:

Contact phone number:

Email address

Address where you are enrolled to vote or have applied to enrol:

List any additional information provided to support your application:

Please tick one of the following:

I am already enrolled

I am not enrolled and I have enclosed a completed enrolment form

Signature/date:

➤ Complete and post to: Electoral Commission, PO Box 3220, Wellington 6140.

➤ Remember to attach any information that supports your application to register on the unpublished roll.

➤ For more information visit elections.org.nz

अप्रकाशित मतदाता सूची में कैसे दर्ज हों।

अप्रकाशित मतदाता सूची में दर्ज होने के लिए आवेदन करने के लिए इस पुस्तिका (ब्रोशर) में दिए फ़ॉर्म को भरकर वापस भेज दें। अगर इस समय आपका नामांकन नहीं हुआ है, तो आपको नामांकन फ़ॉर्म भी भरना पड़ेगा। नामांकन फ़ॉर्म या अतिरिक्त आवेदन फ़ॉर्म पाने के लिए, आप:

- elections.org.nz से फ़ॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या
- **0800 36 76 56** पर कॉल कर सकते हैं और हम डाक द्वारा आपको फ़ॉर्म भेज देंगे।

मुझे कौन सी सहायक जानकारी देनी होगी?

अप्रकाशित सूची में अपना नाम दर्ज करवाना आपके लिए क्यों जरूरी है, यह दिखाने के लिए आपको सहायक जानकारी देनी होगी। किस तरह की जानकारी शामिल की जाए, उसके कुछ उदाहरण:

- आपके नियोक्ता, आपके वकील, आपके सोशल वर्कर (सामाजिक कार्यकर्ता), आपके एडवोकेट (अधिवक्ता) या किसी ऐसे व्यक्ति का पत्र, जो समुदाय से आपके लिए खड़ा हो सके और बता सके कि आखिर आपका काम या निजी परिस्थितियाँ क्यों आपको जोखिम में डाल रही हैं, या
- सुरक्षा आदेश की एक प्रतिलिपि, जो डॉमेस्टिक वायलेंस एक्ट 1995 (घरेलू हिंसा अधिनियम 1995) के अधीन लागू होती हो, या
- निरोधक आदेश की एक प्रतिलिपि, जो हैरसमेंट एक्ट 1997 (उत्पीड़न अधिनियम 1997) के अधीन लागू होती हो, या
- पुलिस अधिकारी या सुधार अधिकारी की ओर से सूचना, जिसमें यह बताया गया हो कि आखिर आपके नाम और पते के प्रकाशन से आपकी या आपके परिवार निजी सुरक्षा क्यों पक्षपातपूर्ण हो सकती है।



मेरे निजी विवरण बदलने पर क्या होगा?

अगर आपके नामांकन के विवरण में कोई भी बदलाव होता है, तो आपको हमें सूचना देनी होगी, जैसे कि आपका नाम या पता। अगर आपकी निजी परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो आप वापस प्रिंट की गई (मुद्रित) मतदाता सूची में दर्ज होने के लिए भी कह सकते हैं।

अपने विवरण को अपडेट करने के लिए, अपने स्थानीय निर्वाचक रजिस्ट्रार से संपर्क करें। उनके संपर्क विवरण elections.org.nz पर उपलब्ध हैं या **0800 36 76 56** पर कॉल करके प्राप्त किए जा सकते हैं।



अप्रकाशित मतदाता सूची में दर्ज होने पर मैं मतदान कैसे करूँ?

आप आम चुनाव या उप-चुनाव में किसी भी मतदान केंद्र पर मतदान कर सकते हैं। आपको एक विशेष मतदान करना होगा, क्योंकि मतदाता केंद्र में मत जारी करने के लिए उपयोग होने वाली प्रकाशित मतदाता सूची में आपका विवरण शामिल नहीं होगा।

आपको निर्वाचक के सामने यह पुष्टि करने के लिए अपने मतपत्र के साथ एक अतिरिक्त फ़ॉर्म भरना होगा कि आप मतदान करने के लिए नामांकित हैं। अगर आप न चाहते हों, तो आपको उस फ़ॉर्म पर पते या पिछले नाम से संबंधित जानकारी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जितनी अधिक जानकारी प्रदान करेंगे, हमें मतदान करने की आपकी योग्यता की पुष्टि करने में उतनी ही मदद मिलेगी।

मतदान केंद्र पर आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको यह बताएगा कि आपको क्या करना है और किधर जाना है।

स्थानीय चुनावों में मतदान करने के लिए, आपको अपने स्थानीय काउंसिल के निर्वाचन अधिकारी से आपको मतपत्र भेजने के लिए कहना पड़ेगा।

ELECTIONS

Level 10, 34-42 Manners Street,
PO Box 3220, Wellington 6140.